बाह्य परिपत्र सं. 55 /डॉस - 13 /2020 02 मार्च 2020

नाबार्ड

संदर्भ सं.राबैं.डॉस.पोल.प्रका./ 3484 /जे-1/2019-20

प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी राज्य सहकारी बैंक / ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय

पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा

आपको विदित है कि नाबार्ड/ भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर विभिन्न विनियामक/ पर्यवेक्षकीय मामलों पर अनुदेश जारी करता रहा है। इन नीतियों की सूची अनुबंध I में इंगित है।

2. इन नीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा दिनांक 27 नवंबर 2019 को आयोजित पर्यवेक्षण बोर्ड की 76वीं बैठक में की गई। पर्यवेक्षण बोर्ड ने रास/जिमस बैंकों द्वारा इन नीतियों के कार्यान्वयन/अनुपालन की असंतोषजनक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और नाबार्ड को निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा 31 मार्च 2020 तक सभी नीतियों पर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तदनुसार हम सूचित करते हैं कि बैंक सभी नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करें और पर्यवेक्षकीय/विनियामक निर्देशों में निर्दिष्ट विभिन्न अनुदेशों के अनुपालन के लिए तत्काल कदम उठायें।

3. विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति का निरंतर अनुप्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल में अलग से एक तिमाही रिटर्न शुरू किया गया है। 31 दिसंबर 2019 की स्थिति के अनुसार पहला रिटर्न एन्श्योर पोर्टल में 10 मार्च 2020 तक अपलोड किया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करें, यथा अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर तिमाही आधार पर एन्श्योर पोर्टल में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करें।

4. हम सूचित करते हैं कि नाबार्ड का पर्यवेक्षण बोर्ड इन नीतियों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की गहनता से अनुप्रवर्तन कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के उल्लंघन/ अनुपालन न करने पर दंडात्मक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पर्यवेक्षण विभाग
प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2653 0017 • फैक्स : +91 22 2653 0103 • ई-मेल : dos@nabard.org
Department of Supervision
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2653 0017 • Fax : +91 22 2653 0103 • E-mail : dos@nabard.org

कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है। अतः रास/जिमस बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नीतियों के कार्यान्वयन में विद्‌यमान अंतर को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय करें।

5. यह परिपत्र निदेशक मण्डल की आगामी बैठक में रखा जाए। बोर्ड को प्रत्येक नीति के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया जाए। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय 31 मार्च 2020 तक शत-प्रतिशत अनुपालन हासिल करने के लिए यथा अपेक्षित एक कार्ययोजना तैयार करे और इस मामले में निर्देश/ मार्गदर्शन के लिए इसे बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

6. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाएँ.

भवदीय

के.एस. रघुपति

(के.एस. रघुपति)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक:- यथोपरि

Annexure I

Matrix of Policies for Rural Cooperative Banks

1. KYC / AML
2. Investment Guidelines
3. Audit Committee
4. Risk Management Systems
5. Asset Liability Management
6. Fraud Prevention and Management
7. Vigilance Cell
8. Membership of all 4 Credit Info. Cos.
9. IS Audit and Migration Audit
10. Complaints & Grievance Redressal Mechanism
11. Compliance with Prudential Norms
12. System Generation NPAs
13. Compliance Dept. / Cell
14. Compliance with Inspection findings
15. Payment & Settlement Systems
16. Cyber Security